राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	603/2021 धन्ना / श्रीकरलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/3/22	आज यह अपील पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। अभिभाषक उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया एवम् पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जो आगामी तारीख पेशी तक जारी की गई है, के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। इस सन्दर्भ में माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की फुल बैन्च द्वारा आर.आर.टी. 2014(1) पृष्ठ संख्या 409 में विस्तृत विवेचन के साथ पारित निर्णय के पृष्ठ संख्या 441 के पैरा संख्या 74 के प्रश्न संख्या 2 में स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम एकपक्षीय आदेश जो आगामी तारीख पेशी तक ही प्रभावित है, के विरूद्व धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं हो सकती। अतः माननीय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर की फुल बैन्च द्वारा आर.आर.टी. 2014(1) पृष्ठ संख्या 409 में विस्तृत विवेचन के साथ पारित निर्णय के पृष्ठ संख्या 441 के पैरा संख्या 74 के प्रश्न संख्या 2 में दिये गये निर्देशों के अनुसरण में अपीलार्थी की यह अपील, इस न्यायालय के समक्ष संधारणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29/3/2022 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जयपुर**	